न्यायालय सहायंक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 27/2020 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुतरसिंह पुत्र नरसिह 2. ओनाड़सिंह पुत्र नरसिह 3. उगमसिंह पुत्र जयसिंह 4. वीरसिंह पुत्र जयसिंह 5. ढेलकंवर पत्नी जयसिंह 6. शैतानसिह पुत्र आईदानसिह 7. रूघसिंह पुत्र आईदानसिह 8. मानसिह पुत्र कानसिंह 9. पर्वतसिंह पुत्र कानसिह 10. सदाकंवर पत्नी कानसिह 11. विश्वजीतसिह पुत्र बालसिह 12. सुगनकंवर पत्नी बालसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गावं तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 27.03.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 3, 129/3 रकबा क्रमशः 165.08, 81.10 बीघा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त मूल खसरा नम्बर 3 में से एन.एच. 68 की सड़क निकल जाने से मूल खसरा विभक्त होकर पृथक–पृथक खसरा नम्बर कायम हुए है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3 व 129/3 में से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 68 गुजरता है, जिसके कारण प्रार्थीगण का खेत दो भागों में विभक्त हो गया है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने बिना मौका व रेकर्ड की जांच किये एवं बिना प्रार्थीगण की जानकारी में लाये इस सड़क की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम से प्रार्थीगण का खेत दो पृथक भागों में विभक्त हो गया तथा पृथक खाते कायम हो गये। उक्त तरमीम दुरस्ती से हम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई परिवर्तन नहीं आया किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया रकबा, लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त के विरूद्ध है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपने अन्य खातेदारी खेत खसरा नम्बर 131/7 की तरमीम दुरस्ती के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से तरमीम दुरस्त करवाई गई है। जिसके संबंध में खसरा नम्बर 131/7 के साथ साथ अन्य, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 से प्रभावित खसरा नम्बर की मौका [illegible] की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय प्रार्थीगण मौके पर [illegible] सर्वप्रथम जानकारी में आया कि खसरा नम्बर 3 व 129/3 [illegible] लट्ठा नक्शा में जो [illegible] की हुई है, उक्त तरमीम भी वर्तमान मौका स्थिति एवं रेकर्ड की स्थिति से भिन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 [illegible] चुतरसिंह बनाम सरकार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:10:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner

तलब की गई मौका फर्द में प्रस्तावित तरमीम शुद्धि अनुसार संशोधन कर तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 के बावजुद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 अनवान चुतरसिंह बनाम सरकार वगैरा में दिनांक 05.08.2019 को पारित आदेश की प्रति व मौका फर्द की प्रति पेश की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 में पारित निर्णय में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान गलत तरमीम को निरस्त कर पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 अनवान चुतरसिंह बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश में संलग्न नक्शा परिशिष्ट'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहंमति प्रदान की गई। पूर्व में न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तरमीम संशोधन से किसी खातेदार का पक्ष या हित प्रभावित नहीं होता है, अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 3, 129/3 रकबा क्रमशः 165.08, 81.10 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 144/2016 अनवान चुतरसिंह बनाम सरकार वगैरा में तहसीलदार शिव से प्राप्त की गई तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 27.[illegible].2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:10:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner